# बिहार विधान परिषद्

## 186वां सत्र

## तारांकित प्रश्न
## वर्ग – 3

**01 भाद्र , 1939 (श.)**

**बुधवार, तिथि ----------**

**23 अगस्त, 2017 ई.**

**प्रश्नों की कुल संख्या – 21**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सामान्य प्रशासन विभाग | .... | .... | 03 |
| 2. | आपदा प्रबंधन विभाग | .... | .... | 02 |
| 3. | नगर विकास एवं आवास विभाग | .... | .... | 09 |
| 4. | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | .... | .... | 04 |
| 5. | पर्यटन विभाग | .... | .... | 01 |
| 6. | मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग | .... | .... | 01 |
| 7. | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | .... | .... | 01 |

---

**कुल योग – 21**

## परीक्षा फल घोषित कबतक

***** 15. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56वीं से 59वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी घोषित नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सारी परीक्षाओं का परीक्षाफल इसी प्रकार विलम्ब से होता है जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटका रहता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिहार लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली सुधारने हेतु क्या कदम उठाना चाहती है तथा 56वीं से 59वीं मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल कबतक घोषित किया जाएगा?

---

## अनुदान राशि कबतक

***** 16. **श्री तनवीर अख्तर** : क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मो. मीरा देवी, पति स्व.-विन्देश्वर सिंह, पता-धरनीपट्टी, थाना-मोहनपुर, जिला-समस्तीपुर ने दिनांक-16.12.2012 को अपने पति की प्राकृतिक आपदा से आकस्मिक मृत्यु की सूचना अंचलाधिकारी, मोहनपुर की दी है;

(ख) क्या यह सही है कि मो. मीरा देवी ने उक्त आवेदन के माध्यम से सरकारी अनुदान मुहैया कराने के लिए अनुरोध किया है;

(ग) क्या यह सही है कि कोई भी गरीब को व्यक्ति प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु पर सरकारी अनुदान देने का प्रावधान है;

(घ) क्या यह सही है कि है मो. मीरा देवी ने सभी आवश्यक कागजात के साथ आवेदन प्रस्तुत किया थी, परन्तु अभी तक उनको सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण परिवार एवं सभी नाबालिग बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार खंड 'क' में वर्णित आवेदनकर्ता को प्राकृति आपदा पर होनेवाली मृत्यु पर मिलने वाली कुल राशि 4,000,00/- (चार लाख) रुपये का अनुदान कबतक देना चाहती है, यदि हां तो कबतक तथा इतना विलम्ब का क्या कारण है?

---

**अनुग्रह राशि का भुगतान**

***** 17. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सड़क हादसे में दो या दो से अधिक लोगों की मृत्यु होने पर मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने की व्यवस्था है;

(ख) क्या यह सही है कि सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान नहीं है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

**नाले का पक्कीकरण**

***** 18. **डॉ. रणवीर नन्दन** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के पटना नगर निगम वार्ड संख्या-3 के धनौत से रूपसपुर भट्ठा पर, शर्मा पथ होते हुए बड़ी नगर में गिरने वाले कच्चे नाले का अतिक्रमण वहां के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि कच्चा नाला के माध्यम से निकलने वाले पानी को अवरुद्ध किए जाने के कारण वहां के लोगों को आम दिनों में भी जल-जमाव की काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त नाले को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए नाले का पक्कीकरण का कार्य करना चाहती है?

---

**रीसर्वे या चकबंदी कबतक**

***** 19. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिला में वर्ष 1972 में रीसर्वे हुआ था;

(ख) क्या यह सही है कि वर्तमान में बक्सर जिला में रीसर्वे एवं चकबंदी दोनों के लिए अधिसूचना अभी जारी हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि पहले रीसर्वे होगा या चकबंदी?

---

**पोखर का सौंदर्यीकरण**

***** 20. **श्री सोने लाल मेहता** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि खगड़िया मुख्यालय स्थित सन्हौली पोखर का विस्तार, सौंदर्यीकरण, चहारदिवारी का निर्माण, पोखर में वोट की व्यवस्था, बैठने हेतु सीमेंट के चबूतरे, फूल-पौधे वर्ष 1988-89 में तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा कराया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के बाद पोखर की चहारदीवारी तोड़ दी गई, चबूतरा तोड़ दिया गया, फूल-पौधे हटा दिये गये, वोट हटा दिये गये और माल-मवेशी बांधकर गोबर जमा कर गोयठा ठोक कर पोखर सौन्दर्यीकरण को नष्ट कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि खगड़िया शहर एवं ग्रामीण इलाकों के आमजनों के मॉरनिंग वाक के लिए एक मात्र यह पोखर स्थल था;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपर्युक्त खंडों में वर्णित पोखर को आमजनों के स्वास्थ्य के हित में पुन: इसका सौन्दर्यीकरण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

---

**नवसृजित जिलों का अभिलेख प्राप्त नहीं**

***** 21. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि आजादी के बाद राज्य में पुराने जिलों को बांटकर नये जिले सृजित किये गये हैं;

(ख) क्या यह सही है कि नवसृजित जिलों से संबंधित अभिलेख (प्रशासनिक, भू-अभिलेख एवं न्यायिक अभिलेख) पुराने जिलों से नये जिलों को प्राप्त नहीं कराया गया है, फलस्वरूप आज भी अभिलेखों के लिए पुराने जिलों का चक्कर लगाना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कबतक पुराने जिलों से नवसृजित जिलों को अभिलेख प्राप्त करा दिया जाएगा?

---

**अक्षरश: पालन कबतक**

***** 22. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकारी दफ्तरों या अधिकारियों को दिए जाने वाले आवेदनों की रसीद पूरी जानकारी के साथ भरकर देने का निर्णय लिया है जिसमें प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, पदनाम आदि दर्ज रहेगा;

(ख) क्या यह सही है कि अभी भी इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि आवेदन की रसीद नहीं देने पर कर्मचारी/अधिकारी पर कार्रवाई करने का नियम है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस नियम का अक्षरश: पालन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

---

**शक्तियों का कार्यान्वयन**

***** 23. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत की प्रदत शक्तियों का कार्यान्वयन करवाने का दायित्व विभाग का है;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय पत्रांक-8/भू.सं. पंचायत-22/2001-632 रा., दिनांक-26.03.2001 की कंडिका-8 एवं 10 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर प्रखंड के अजवा पंचायत में अबतक नहीं हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि अजवा पंचायत के मुखिया द्वारा इसके कार्यान्वयन हेतु पत्रांक-16 (प.अ.), दिनांक - 04.02.2017 एवं पत्रांक 08 (प.अ.), दिनांक - 28.12.2016 द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं पत्रांक-18 (प.अ.), दिनांक - 07.02.2017 द्वारा मुख्य सचिव, बिहार, पटना को दी गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत कंडिका-8 एवं 10 में वर्णित ग्राम पंचायत की प्रदत्त शक्तियों का कार्यान्वयन यथाशीघ्र लागू करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

**पदाधिकारी को दंडित**

***** 24. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि श्री कृष्ण बिहारी सिंह, सेवानिवृत्त दिनचर्या लिपिक, नगर विकास एवं आवास विभाग को उनके सेवा काल में ही सहायक के पद पर नियुक्ति के संबंध में विभागीय संचिका संख्या-स्था./ए-9-1025/90 के पृष्ठ - 134 एवं 176 टी. पर कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 1976 के पूर्व की स्थिति को मानकर प्रशासी विभाग द्वारा स्वयं अपने स्तर से निर्णय लेने के परामर्श के आलोक में उनके सेवाकाल के अंतिम वर्ष में विभागीय मंत्री द्वारा दिनांक - 02.08.1999 एवं 14.06.2001 को सहायक के पद पर विभागीय स्तर पर नियुक्ति हेतु आदेश पारित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित आदेश के अनुरूप उपस्थापित प्रारूप को निर्गत करने हेतु निबंधक एवं उप सचिव द्वारा संबंधित संचिका के पृष्ठ - 262 टि. पर सहमति के बावजूद भी बिना कोई स्पष्ट कारण का प्रारूप अनुमोदित नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रारूप को अनुमोदित नहीं करने वाले पदाधिकारी को दंडित करते हुए प्रारूप निर्गत करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

**जांच कराकर कार्रवाई**

***** 25. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि IAS में चयनित उम्मीदवारों को राज्य का आवंटन उस राज्य द्वारा अधियाचित कैटेगरीवाइज वेकेंसी के आधार पर होता है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2014, 2015, 2016 एवं 2017 में राज्य सरकार द्वारा DOPT, भारत सरकार को अनारक्षित श्रेणी में Insider Vacancies शून्य भेजी गई जिसके कारण किसी भी अनारक्षित श्रेणी के बिहारी IAS को बिहार कैडर आवंटित नहीं किया गया है जबकि राज्य में Insider Vacancies पचास से अधिक हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार रिक्ति रहने के बावजूद चार सालों तक Insider Vacancies शून्य भेजने के मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

**जलजमाव से मुक्ति**

***** 26. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिले के गोपालगंज नगर परिषद् बरसात के दिनों में जलजमाव से जूझता रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि परिषद् क्षेत्र के अधिकतर नालों की सफाई बरसात के पूर्व नहीं होती है जिससे बरसात के दिनों में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि गोपालगंज शहर में नालों कि पर्याप्त संख्या नहीं है एवं जो भी नाला है उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार कबतक नालों की सफाई के साथ पर्याप्त नालों का निर्माण कराते हुए गोपालगंज शहर वासियों को बरसात के दिनों में जलजमाव से मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

**आवासों का निर्माण**

***** 27. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि 'सबके लिए आवास योजना' के तहत केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बाद भी राज्य के 57 नगर निकायों में आवास नहीं बन रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के दूसरे चरण के तहत 57 नगर निकायों में 21 हजार 474 आवासों के निर्माण की मंजूरी दी है;

(ग) क्या यह सही है कि इन आवासों का निर्माण नहीं होने से जनता को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इन आवासों का निर्माण करवाना चाहती है?

---

**हिन्दी भवन को सुपुर्द कबतक**

***** 28. **डा. रामवचन राय** : क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राजभाषा विभाग के अधीन छज्जूबाग, पटना में हिन्दी भवन का निर्माण हुआ है, जिसका नामकरण अब फणीश्वरनाथ रेणु हिन्दी भवन किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त भवन में कुछ दिन पूर्व तक चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान चलता था, जो अब अपने भवन मीठापुर में स्थानांतरित हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के जाने के बाद भी फणीश्वरनाथ रेणु हिन्दी भवन अबतक राजभाषा विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए सरकार फणीश्वरनाथ रेणु हिन्दी भवन को कबतक राजभाषा विभाग को सुपुर्द करेगी ?

---

**सब्जीमंडी तथा मार्केट कबतक**

***** 29. **श्री दिनेश प्रसाद सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर की सड़कों पर खुदरा दुकानदारों तथा सब्जी विक्रेताओं द्वारा दुकान लगा दिए जाने के कारण पूरे शहर में यातायात बाधित रहता है तथा घंटों जाम में लोग फंसे रहते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि ऐसे खुदरा दुकानदारों तथा सब्जी विक्रेताओं के लिए सरकार द्वारा मार्केट बसाया नहीं गया है और न ही इसके लिए कोई स्थान चिन्हित किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शहर को साफ-सुथरा रखने तथा आवागमन सुचारु रूप से चलाने के लिए ऐसे खुदरा दुकानदारों तथा सब्जी विक्रेताओं के लिए सब्जी मंडी तथा मार्केट बसाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

**अतिक्रमण से मुक्त**

***** 30. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 में मधुबनी जिला अन्तर्गत बेनीपट्टी, बेहटा निवासी श्री रामभजन साह की निजी जमीन के कुछ भाग पर कब्जा करने की शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी से की गयी थी;

(ख) क्या यह सही है कि समाहर्त्ता, मधुबनी द्वारा दिनांक-22.11.2008 को अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अंचलाधिकारी, बेनीपट्टी को लिखित आदेश दिया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु विभागीय स्तर से बहुत बार पत्र निर्गत किया गया परन्तु सक्षम पदाधिकारी और पुलिस की मिलीभगत के कारण आजतक उक्त भूमि अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो सकी है;

(घ) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 में उक्त विषयक शिकायत लोकायुक्त कार्यालय, पटना में निबंधित है, परन्तु उक्त विषय से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री राम भजन साह की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करायेगी, यदि हां तो कबतक ?

---

**नाला एवं सड़क का निर्माण**

***** 31. **श्री सी.पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के पटना सदर प्रखंडान्तर्गत पटना शहर के अखिलेश नगर, पश्चिमी रोड नं. -2, अगमकुंआ, पटना में 18 फीट कमलदह पथ से श्रीमती पूतन मिश्र के घर तक सड़क कच्ची है तथा वर्षा के दिनों में इस सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कच्ची सड़क का नाला सहित पी.सी.सी. सड़क निर्माण अति आवश्यक है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला के उक्त पथ को पक्का नाला एवं पी.सी.सी. सड़क निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

---

**परिवहन अभिकर्त्ता पर कार्रवाई**

***** 32. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि है सीतामढ़ी जिला में डी.एस.डी. अभिकर्त्ताओं के बीच जिला प्रबंधक द्वारा खाद्यान्न के उठाव का आवंटन समानुपातिक मात्रा में नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि है सीतामढ़ी जिला में कुल छः डी.एस.डी. अभिकर्त्ता कार्यरत हैं जिसमें जिला प्रबंधक द्वारा अपने चहेते डी.एस.डी. अभिकर्त्ता को ज्यादा गोदाम का आवंटन देकर खाद्यान्न का उठाव करा रहे हैं जबकि सभी परिवहन अभिकर्त्ता को समान रूप से आवंटन मिलना चाहिए;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला प्रबंधक की कार्य प्रणाली की जांच कराकर उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, साथ ही ज्यादा आवंटित वाले परिवहन अभिकर्त्ता पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

---

**सड़क का निर्माण**

***** 33. **श्री चन्देश्वर प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि है पटना शहर के गुलजारबाग, छोटी पहाड़ी सहारा गोदाम रोड, देवी स्थान से पूरब की ओर श्रीमती पूनम देवी के मकान से रेखा देवी, पति श्री रविन्द्र पंडित के मकान तक कच्ची सड़क पर ही घर से निकला गंदा पानी और बरसात के दिनों में वर्षा के पानी से जल-जमाव बना रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि है उक्त सड़क पर जमे हुए पानी में प्रवेश करते हुए स्थानीय लोगों के साथ-साथ छोटे-बड़े वाहनों के आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि है दिनांक-13.06.2017 को जनप्रतिनिधि द्वारा उक्त सड़क को पक्का नाला सहित पी.सी.सी. सड़क निर्माण करने हेतु आग्रह किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' पर अंकित कच्ची सड़क को पक्का नाला सहित पी.सी.सी. सड़क निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

---

**पानी निकासी का निदान**

***** 34. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि है 31/10, बेली रोड, राजवंशीनगर, पटना के आवास के पीछे बने नाला पर अतिक्रमण है जिसकी वजह से नाला की सफाई नहीं हो पाती है;

(ख) क्या यह सही है कि है उक्त नाले की सफाई नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में रास्ता और आस-पास के आवासों में गंदा पानी जमा हो जाता है, वर्तमान में पानी के जमाव से मच्छर का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि सदन में सरकार के द्वारा एक माह के अंदर अतिक्रमण हटाने का आश्वासन देने के बावजूद भी अभियंता/पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण आजतक नाले पर से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है एवं मात्र सफाई की खानापूर्ति कर दी गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित आवास के पीछे के नाला को बरसात के पहले अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए गंदे पानी की निकासी का स्थायी निदान निकालना चाहती है?

---

**सड़क का पक्कीकरण**

***** 35. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना जिले के पूर्वी रामकृष्णा नगर में रतन लक्ष्मी गैस गोदाम बाईपास की पश्चिम सड़क (महादलित टोला), जो भोनू बेलदार के घर तक जाती है, अत्यन्त जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री के सात निश्चत योजना अन्तर्गत उक्त सड़क के पक्कीकरण के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-2017 में पटना नगर निगम के प्राक्कलन के अनुसार 17 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, किन्तु कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस सड़क का पक्कीकरण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

---

पटना
दिनांक 23 अगस्त, 2017 ई.

**सुनील कुमार पंवार**
सचिव
बिहार विधान परिषद्